

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर, 2019-भाद्र 15, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप सिंह आत्मज श्री बैजनाथ सिंह आयु वयस्क, निवासी ग्राम कोटरा चौपड़ा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं कि यह कि मेरे स्वामित्व की दो किता कृषि भूमि खसरा क्रमांक 259/236/1 रकबा 0.582, खसरा नं. 259/236/2 रकबा 2.023 हेक्टेयर कुल रकबा 2.605 हेक्टेयर ग्राम कोटरा चौपड़ा प.ह.नं. 44 रा. नि.मं. 3 विकासखण्ड बैरसिया, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल है, जिसका मैं मालिक व स्वामी हूं यह कि मेरी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम दलपत सिंह दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम दिलीप सिंह है. यह कि मैं उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दिलीप सिंह दर्ज कराना चाहता हूं.

पुराना नाम :

(दलपत सिंह)

(540-बी.)

नया नाम :

(दिलीप सिंह)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कालीचरण अहिरवार था, जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है. अब मैंने अपना नाम बदलकर करन सुनहरे रख लिया है. यही नाम मैं अपने सभी दस्तावेजों में करना चाहता हूं. अतः अब मुझे करन सुनहरे के नाम से ही जाना व पहचाना जावे. मैं आगे के सभी कार्य अपने नए नाम करन सुनहरे के नाम से ही करूंगा.

पुराना नाम :

(कालीचरण अहिरवार)

(513-बी.)

नया नाम :

(करन सुनहरे)

पुत्र श्री बंकालाल,
पता- ग्राम व पोस्ट बमौरी,
तहसील-बमौरी, जिला गुना.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में स्वीटी मालवी पुत्री श्री सुरेश कुमार मालवी आयु लगभग 29 वर्ष निवासी-मालवी आर्टीकल्स, मेन रोड, शिवाजी वार्ड बोड़खी, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) था पर अब मैं अपना नाम बदलकर आराधना मालवी (ARADHANA MALVI) कर लिया है. अतः भविष्य में इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(स्वीटी मालवी)

(512-बी.)

नया नाम :

(आराधना मालवी)

(ARADHANA MALVI)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सर्विस दस्तावेजों में मेरा नाम रामपाल अंकित है. जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रामपाल निगोतिया अंकित है. भविष्य में मुझे मेरे नाम रामपाल निगोतिया के नाम से ही जाना, पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(रामपाल)

(514-बी.)

नया नाम :

(रामपाल निगोतिया)

पुत्र श्री रामभरोसी,
ए-4, न्यू साकेत नगर, तानसेन रोड,
ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Soumya Sarna D/o Santosh Gupta, resident of House Number 83, Anupam Nagar, Tehsil Huzur, District Bhopal (M.P.) hereby declare that before marriage my name was Soumya Gupta D/o Santosh Gupta and after marriage I have changed my name as Soumya Sarna W/o Shri Neeraj Sarna. Now I will be known and identified as Soumya Sarna W/o Shri Neeraj Sharma.

Old Name :

(SOUMYA GUPTA)

D/o Santosh Gupta.

(515-बी.)

New Name :

(SOUMYA SARNA)

W/o Shri Neeraj Sharma.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अचल वर्मा (ACHOEL VERMA) पुत्र श्री शैलेन्द्र के वर्मा (नया नाम) जिसका अब से पहले अचल वर्मा (ACHAL VERMA) पुराना नाम था और क्वार्टर न. 12, जज कॉलोनी ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.). मैं अब से सदैव सभी अभिलेखों, प्रलेखों तथा कागजातों पर और सभी कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा लेनदेन में निजी तौर पर तथा सभी अवसरों पर अपने पुराना की जगह नये नाम अचल वर्मा (ACHOEL VERMA) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :

(अचल वर्मा)

(ACHAL VERMA)

(516-बी.)

नया नाम :

(अचल वर्मा)

(ACHOEL VERMA)

पुत्र श्री शैलेन्द्र के वर्मा.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शैलेन्द्र के वर्मा (SHAILENDRA K VARMA) पुत्र श्री उमाशंकर वर्मा (नया नाम) जिसका अब से पहले शैलेन्द्र वर्मा (SHAILENDRA VERMA) पुराना नाम था और क्वार्टर न. 12 जज कॉलोनी ईदगाह हिल्स भोपाल (म.प्र.). मैं अब से सदैव सभी अभिलेखों, प्रलेखों तथा कागजातों पर और सभी कार्यवाहियों, व्यवहारों तथा लेनदेन में निजी तौर पर तथा सभी अवसरों पर अपने पुराना की जगह नये नाम शैलेन्द्र के वर्मा (SHAILENDRA K VARMA) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :

(शैलेन्द्र वर्मा)

(SHAILENDRA VERMA)

(517-बी.)

नया नाम :

(शैलेन्द्र के वर्मा)

(SHAILENDRA K VARMA)

पुत्र श्री उमाशंकर वर्मा.

नाम परिवर्तन

मैं, सुमित्रा खंडागरे, उम्र 51 वर्ष पति श्री मधुकर खंडागरे, निवासी म.न. 9, भवानी कैम्पस, फेस-2, नरेला शंकरी अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल पिन कोड 462041 विवाह पूर्व ईठा माकोड़े, पिता श्री महादेव राव माकोड़े तहसील मुलताई के नाम से जानी जाती थी. हायर सेकेण्डरी की मार्कशीट में मेरा नाम ईठा माकोड़े है. विवाह उपरांत मेरा नाम सुमित्रा खंडागरे हो गया है और समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सुमित्रा खंडागरे पति श्री मधुकर खंडागरे है. अतः अब मुझे सुमित्रा खंडागरे पति श्री मधुकर खंडागरे नाम से ही जाना/पुकारा जाता है.

पुराना नाम :
(ईठा माकोड़े)

(518-बी.)

नया नाम :

(सुमित्रा खंडागरे)

पता-मकान नं 9, भवानी कैम्पस फेस-2,
नरेला शंकरी, अयोध्या बायपास रोड,
भोपाल 462041.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपनी पुत्री Ku. RUDRANSHI TOMAR की जगह बदलकर नया नाम Ku. PAVIKA TOMAR रख लिया है. मेरी पुत्री का सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में उसे उसके नये नाम Ku. PAVIKA TOMAR के नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जावे एवं LIC की पॉलिसी क्रमांक 203135878 में भी उसका नया नाम Ku. PAVIKA TOMAR अंकित कर दिया जावे.

सूचनाकर्ता :

ऋषि तोमर

पुत्री श्री शिवमंगल सिंह तोमर,
पता-867, आनन्द नगर बहोड़ापुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(519-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम कुसमा एवं कुसमा गुर्जर के स्थान पर नया नाम कुसमा देवी गुर्जर रख लिया है. मुझे सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम कुसमा देवी गुर्जर के नाम से जाना एवं पहचाना एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम :

(कुसमा एवं कुसमा गुर्जर)

(520-बी.)

नया नाम :

(कुसमा देवी गुर्जर)

पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर,
पता-रामजानकी मंदिर, मीरा नगर,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अंकित शाह पिता श्री सिद्धनारायण शाह, माता श्रीमती यशोदा बाई शाह निवासी मु.पो. बरहटा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) हा.नि. वनचौकी श्यामनगर, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) को आज दिनांक के पूर्व अंकित कुमार गौड़ नाम से जाना, पहचाना जाता था. आज दिनांक से मेरे पक्षकार को अंकित शाह नाम से जाना व पहचाना जावे एवं अंकित शाह के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक दस्तावेजों में उक्त अंकित कुमार गौड़ नाम के स्थान पर आज दिनांक से परिवर्तित नाम में शाह सरनेम लगवाकर अंकित शाह नाम संस्थापित करवा रहा है, जिससे मेरे पक्षकार को आज दिनांक से अंकित शाह नाम से जाना, पहचाना जाकर संबोधित किया जावे.

चन्द्रभान सेन,

(एडवोकेट)

(521-बी.)

गोटेगांव, जिला- नरसिंहपुर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शालेय दस्तावेजों एवं अन्य रिकार्ड में “जयेन्द्र पाटीदार पिता श्री मांगीलाल पाटीदार” अंकित था तथा परिवार एवं मित्रों में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता हूँ. अतः अब भविष्य में “जयेश पाटीदार पिता श्री मांगीलाल पाटीदार” के नाम से जाना, पहचाना जावेगा साथ ही समस्त व्यवहार इसी नाम से किया जावे.

पुराना नाम :

(जयेन्द्र पाटीदार)

(522-बी.)

नया नाम :

(जयेश पाटीदार)

पिता श्री मांगीलाल पाटीदार,
131, खजराना इंदौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सुनीता प्रधान पत्नी श्री तुलसी भार्गव था एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सुनीता प्रधान है. अब मैंने अपना नाम बदलकर सुनीता भार्गव पत्नी श्री तुलसी भार्गव कर लिया है. आज से मुझे सुनीता भार्गव के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सुनीता प्रधान)

पत्नी श्री तुलसी भार्गव,

(523-बी)

नया नाम :

(सुनीता भार्गव)

पत्नी श्री तुलसी भार्गव,
काशी नरेश की गली,
सुनारों का मौहल्ला,
किलागोट, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

आवेदक सुमति कुमार, सुमत कुमार पिता श्री खेमचंद जैन उम्र 63 वर्ष, निवासी एमआईजी 28, एसपीएम नगर, दमोह ने कथन किया है कि मुझे सुमति कुमार एवं सुमत कुमार जैन दोनों ही नाम से जाना, पहचाना जाता है. दोनों ही नाम मेरे हैं व दोनों ही नाम प्रचलन में हैं. यह कि मेरी पत्नि श्रीमति रशिम जैन व मेरे पुत्र पलाश जैना, समर जैन के सभी दस्तावेजों में पति/पिता का नाम सुमत कुमार जैन अंकित है साथ ही मेरे भवन, भूमि से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम सुमत कुमार जैन दर्ज है. जबकि मेरे स्वयं के आधार कार्ड, पेनकार्ड, अंकसूची, शासकीय नौकरी से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुमति कुमार जैन अंकित है. दोनों ही नाम मेरे हैं. अतः उक्त दोनों नाम की वजह से भविष्य में मुझे व परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसलिये मैं उक्त संबंध में म.प्र. शासन के राजपत्र में उक्त जानकारी प्रकाशित करा रहा हूँ.

पुराना नाम :

(सुमति कुमार जैन)

(524-बी)

नया नाम :

(सुमत कुमार जैन)

MIG-28, एस.पी.एम. नगर,
हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिविल वार्ड नं. 8,
दमोह.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पुलकिता द्विवेदी है मेरे पिता जी का श्री बालरवि द्विवेदी है. मेरी जन्म तिथि 11-06-2000 है. मैं अपने परिवार के साथ वर्तमान में एफ-707 एम.के. इलेक्जर सिटी, सिरौल रोड, ग्वालियर में रहती हूँ. मेरा घरेलू नाम मुस्कान है एवं दस्तावेजी नाम पुलकिता द्विवेदी है. दस्तावेजी नाम की सत्यता के लिये मैं अपना आधार कार्ड एवं 10वीं की अंकसूची छायाप्रति संलग्न की है. मुझे दोनों नाम से जाना व पहचाना जाता है किन्तु मैं अपने दस्तावेजी नाम को ही समस्त दस्तावेजों में संशोधित व रखना चाहती हूँ. उक्त दोनों ही नाम मेरे हैं.

पुराना नाम :

(मुस्कान)

(525-बी.)

नया नाम :

(पुलकिता द्विवेदी)

पिता श्री बालरवि द्विवेदी,

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मंगल सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द्र कुशावाह था इसी नाम से मैंने एल.आई. सी. पॉलिसी क्र. 200280510 कराई है. जबकि वर्तमान में मुझे सूरज कुशावाह (SURAJ KUSHWAH) पुत्र श्री रमेश चन्द्र कुशावाह

(RAMESH CHANDRA KUSHWAH) से जाना जाता है जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, बैंक खाता एवं मार्कशीट आदि सभी दस्तावेजों में यही नाम अंकित है. अतः मुझे मेरे परिवर्तित नाम सूरज कुशवाह पुत्र श्री रमेश चन्द्र कुशवाह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मंगल सिंह)

पुत्र श्री रमेश चन्द्र कुशवाह.

(526-बी.)

नया नाम :

(सूरज कुशवाह)

पुत्र श्री रमेश चन्द्र कुशवाह,
पता-240, न्यू ग्रेसिम विहार कॉलोनी,
चार शहर का नाका, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, मयंक कुमार श्रीवास्तव पिता श्री महेश श्रीवास्तव, निवासी ग्राम आलमपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) हूँ. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मयंक कुमार दर्ज है परंतु मेरे नाम के साथ मेरा सरनेम नहीं जुड़ा है. इसलिए मैं अब में अपना नाम मयंक कुमार श्रीवास्तव समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अपने नाम के साथ सरनेम 'श्रीवास्तव' जुड़वाना चाहता हूँ. अतः मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मयंक कुमार श्रीवास्तव पढ़ा, लिखा, माना एवं समझा जावे.

पुराना नाम :

(मयंक कुमार)

(527-बी.)

नया नाम :

(मयंक कुमार श्रीवास्तव)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी में मेरा नाम अखिलेश चौहान दर्ज है जो कि मेरा घरू नाम है जबकि मेरी हाई स्कूल की अंकसूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में नाम रामेन्द्र सिंह चौहान अंकित है अखिलेश चौहान एवं रामेन्द्र सिंह चौहान दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता एक ही व्यक्ति के हैं मैं दोनों नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता हूँ भविष्य में मुझे रामेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री रघुवीर सिंह चौहान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा.

पुराना नाम :

(अखिलेश चौहान)

पुत्र- श्री रघुवीर सिंह चौहान,

(531-बी.)

नया नाम :

(रामेन्द्र सिंह चौहान)

पुत्र- श्री रघुवीर सिंह चौहान,
निवासी-98, सेवा नगर, राजनेश आदर्श पब्लिक स्कूल,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पैन कार्ड, हायर सैकेन्ड्री, बी. एससी., एम. एससी. की अंकसूचियों में एवं सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम मालविका मिश्रा पुत्री श्री रमेश प्रसाद मिश्रा अंकित है तथा मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मालविका मिश्रा पत्नी श्री राजीव दुबे अंकित है.

मैंने मालविका मिश्रा पुत्री श्री रमेश प्रसाद मिश्रा के स्थान पर अपना नाम श्रीमती मालविका दुबे पत्नी श्री राजीव दुबे Smt. Salvika Dubey W/o Rajiv Dubey नाम परिवर्तित कर लिया है. भविष्य में मैं श्रीमती मालविका दुबे पत्नी श्री राजीव दुबे के नाम से ही जानी, पहचानी व पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(मालविका मिश्रा)

पुत्री- श्री रमेश प्रसाद मिश्रा,

(533-बी.)

नया नाम :

(मालविका दुबे)

पत्नी- श्री राजीव दुबे,
निवासी-म.न.01, सपना मेंशन, गोविन्दपुरी,
ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, DEVANSHU GANGULY S/o SUNIT GANGULY aged 18 years residing at Ward No.4, Kalichhapar, Post-Nandan, Dist. Chhindwara (M.P) do hereby solemnly affirm and declare that my name is Devanshu Ganguly

Officially recorded in all my documents, Marksheets of class 10th. & 12th., Aadhar Card, Pan Card, Voter ID and Saving Bank Account. My name has been entered as Dipen Ganguly S/o Sunit Ganguly in sbi mutual fund's folio no. 560301620 by mistaken.

I state that Devanshu Ganguly and Dipen Ganguly are the name of one and the same person and that is my self, so my correct name Devanshu Ganguly should be entered and recorded in sbi mutual fund's folio no. 560301620.

Old Name :
(**DIPEN GANGULY**)
S/o Sunit Ganguly
(534-B.)

New Name :
(**DEVANSHU GANGULY**)
S/o Sunit Ganguly

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष मंगल पुत्र श्री सुरेश कुमार अग्रवाल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ की मेरा नाम आशीष मंगल है जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में अंकित है भूलवश मेरे कुछ शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं एल. आई. सी. तथा अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आशीष अग्रवाल लिखा गया है जो कि गलत है जबकि आशीष मंगल एवं आशीष अग्रवाल मेरे ही नाम है वर्तमान में मैं आशीष मंगल पुत्र श्री सुरेश कुमार मंगल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा हस्ताक्षर करता हूँ अतः मेरे शासकीय / अर्द्धशासकीय एवं एल. आई. सी. तथा अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आशीष अग्रवाल के स्थान पर आशीष मंगल लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(**आशीष अग्रवाल**)
(536-बी.)

नया नाम :
(**आशीष मंगल**)
निवासी-मंगल भवन, नई सड़क,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रामलखन जाटव पुत्र श्री हरगोविंद जाटव सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम राम रतन सिंह पुत्र श्री हरगोविंद जाटव था जो मेरे बीमा पॉलिसी क्रमांक 201235940 एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं रामलखन जाटव पुत्र श्री हरगोविंद जाटव के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और रामलखन जाटव के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 201235940 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम राम रतन सिंह पुत्र श्री हरगोविंद जाटव लिखा गया है जो कि गलत है अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 201235940 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम राम रतन सिंह पुत्र श्री हरगोविंद जाटव के स्थान पर रामलखन जाटव पुत्र श्री हरगोविंद जाटव लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(**राम रतन सिंह**)
(535-बी.)

नया नाम :
(**रामलखन जाटव**)
पता-वार्ड न.02, विल्लोवा माता वाला मोहल्ला,
आंतरी, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

1. Hero Gyanchandani, Aged 65 years (Having Date of Birth of 07/12/1954), residing at 389, New A-37, Bairagarh, Bhopal MP, India, Pin 462030 Hereby Depose And Declare To The Public 1, I Am Known By The Name Hero Gyanchandani And Have Used The Same In My Personal And Official Records And Interaction, Indian Passport No. P4294130 Issued By Republic Of India, Through Its Regional Passport Office At Bhopal, On 07/12/2016 Valid Upto 06/12/2026.

2. My Name Was/is Record As Hiralal Gyanchandani in The India Passport No.P6824335 In The Name Of My Spouse Neelam Gyanchandani Issued By Republic Of India, Through Its Regional Passport Office At Bhopal On 10/03/2017 And Valid Upto 09/03/2027 Wherein My Name As Spouse Of Neelamis Mentioned As Hiralal Gyanchandani.

3. Both The Names Hero Gyanchandani And Hiralal Gyanchandani Refer To One And The Same Person.

Old Name :

(HIRALAL GYANCHANDANI)

New Name :

(HERO GYANCHANDANI)

Add-389, New A-37, Bairagarh,
Bhopal (M.P).

(537-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्व में अजीत सिंह राठौर नाम से जाना जाता था. अतः अब वर्तमान में अजीत सिंह राजपूत नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा साथ ही मेरे समस्त रिकार्ड में अजीत सिंह राजपूत नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :

(अजीत सिंह राठौर)

नया नाम :

(अजीत सिंह राजपूत)

पता-म.नं. 543, डी.2, डी-सेक्टर,
पिपलानी, भोपाल (म.प्र.).

(539-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, विवेक सोनकर पिता पूनमचंद सोनकर, निवासी-48, संजना पार्क, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास, इन्दौर मध्यप्रदेश का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम विवेक कुमार सोनकर पिता पुनमचंद सोनकर दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में विवेक सोनकर पिता पूनमचंद सोनकर दर्ज है. जिन दस्तावेजों में विवेक कुमार सोनकर पिता पुनमचंद सोनकर दर्ज है. के स्थान पर विवेक सोनकर पिता पूनमचंद सोनकर पढ़ा एवं लिखा जावें. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(विवेक कुमार)

पिता-श्री पुनमचंद सोनकर,

नया नाम :

(विवेक सोनकर)

पिता-श्री पूनमचंद सोनकर,
पता-48, संजना पार्क, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास,
इन्दौर (म.प्र.). 452016.

(541-बी.)

CHANGE OF NAME

I, VIVEK SONKAR S/O POONAMCHAND SONKAR, residing at H.N. 48, Sanjana Park Colony, Near Agrawal Public School, Indore (M.P.) Have Changed My Name From VIVEK KUMAR SONKER S/o PUNAM CHAND SONKER That My Old Name Was Causing Discrepancies in Identity Documents Hence is The Reason For Name Change.

Old Name :

(VIVEK KUMAR SONKER)

S/O PUNAM CHAND SONKER

New Name :

(VIVEK SONKAR)

S/o POONAMCHAND SONKAR

Add-H. N. 48, Sanjana Park,
Near Agrawal Public School,

Indore (M.P.) 452016

(541-A-B.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में शिवम बायो रिसोर्स के नाम से एक भागीदारी फर्म है. इस फर्म से दिनांक 01-07-2019, से एक भागीदार श्री रामचन्द्र पराडकर पिता श्री समचंद पराडकर, निवासी-हिवरा सेनदवार, तह. पादुर्णा, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-07-2019 से श्रीमती अमृता चिनचौलकर पति श्री अजय वी. चिनचौलकर, निवासी-हाउस न. 333, साईंखेड़ा, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक

01-07-2019 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस हेती बनगाँव, अमरावती रोड, डी. आई. टी. के पास पांडुर्ना, तह. पांडुर्ना, जिला छिंदवाड़ा स्थित है। सर्व-साधारण को सूचित हेतु जारी।

मैसर्स शिवम बायो रिसोर्स,
अजय वी. चिनचौलकर,
(भागीदार)
छिंदवाड़ा,

(528-बी.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म मैसर्स श्री रानी सती कंस्ट्रक्शन्स के नाम से एक भागीदारी फर्म है। इस फर्म से दिनांक 01-04-2019 से चार भागीदार (1) श्री गुरुजीत सिंह बेदी पिता श्री अमरजीत सिंह बेदी, निवासी-वार्ड न.10, संतोषी माता, वार्ड तहसील व जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (2) श्री राजकुमार अग्रवाल पिता श्री अशोक अग्रवाल, निवासी-दमुआ नंबर 22, दमुआ, तहसील दमुआ, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (3) श्री संतोष लालवानी पिता श्री सच्चानंद लालवानी, निवासी-मोहन नगर, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (4) श्री नीतू अग्रवाल पिता श्री मनीष अग्रवाल, निवासी- झुनझुवाला कन्या विद्यालय, तहसील एवं जिला नागपुर (महा.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2019 से सात भागीदारी (1) श्री राहुल सुखेजा पिता श्री श्यामसुंदर सुखेजा, निवासी पंकज टॉकीज के पीछे, मोहन नगर, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (2) श्री बोधसिंह चौधरी पिता श्री भैयालाल चौधरी, निवासी-पानी टंकी के पास, सिवनी प्राणमोती, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (3) श्री प्रेम प्रकाश गोयल पिता श्री लालू राम गोयल निवासी-वार्ड नं.9, चौकी मोहल्ला लाईन आई अस्पताल के पास, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (4) श्री अरविंद गोयल पिता श्री मदन लाल गोयल निवासी-1115/एडी/सी/403, आदित्य इम्प्रीअल हाइअस्ट हापीजपेट मियापुर, रानाडेडी, तहसील एवं जिला मिवापुर आंध्रप्रदेश, (5) श्री राजकुमार कान्सकार पिता श्री चरणलाल कास्कार निवासी-वार्ड नंबर 14, नई आबादी, नव भारत प्रेस के पास, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (6) श्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर पिता श्री निरंजन सिंह सेंगर निवासी-सेंगर निवास, नरसिंहपुर नाका, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (7) श्री बलदेव जवा पिता श्री तेजभान जावा निवासी-नरसिंहपुर नाका, नई आबादी, कैलाश नगर, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2019 से संशोधन उपरांत 9 साझेदार रहेंगे उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 18, तिलक मार्केट, स्टेशन रोड, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा स्थित है। सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी।

मैसर्स श्री रानी सती कंस्ट्रक्शन्स,
नीतू अग्रवाल,
(भागीदार)

(529-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म मे. सहारा टेक्सटाईल्स के नाम से एक भागीदारी फर्म है। इस फर्म से दिनांक 22-06-2019 से दो (1) भागीदार श्री प्रमोद सहारे पिता बी. हरिचन्द्र सहारे निवासी- मकान नं. 135, ब्राह्मण पिपला, तह. सौंसर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (2) बी पारस सहारे पिता हरिचन्द्र सहारे निवासी- ब्राह्मण पिपला, तह. सौंसर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश पहले से है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 22-06-2019 से दो भागीदार (1) श्री राष्ट्रपाल ढोक पिता स्व. श्री श्यामराव ढोक निवासी-वार्ड न.11, पोस्ट ऑफिस के पास, तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश, (2) श्री कुन्दन ढोक पिता हरिदास ढोक निवासी-वार्ड नं. 13, राठी जिनिंग के पास, तह. सौंसर, जिला छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 22-06-2019 से संशोधन उपरांत चार साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस एम. पी. ए. के. वी. एन. इन्डस्ट्रीयल एरिया, बोरगांव, तह. सौंसर, जिला छिंदवाड़ा स्थित है।

मैसर्स सहारा टेक्सटाईल्स,
प्रमोद सहारे,
(भागीदार)
छिंदवाड़ा (म.प्र.).

(530-बी.)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म प्रेम इन्टरप्राइजेज ऑफिस वासुदेव विहार बारह बीघा सिकन्दर कम्पू लशकर, ग्वालियर. जिसमें पार्टनर श्री अजय पाल सिंह कुशवाह पुत्र श्री कृपाल सिंह कुशवाह अपनी स्वेच्छा से फर्म से निवृत्त हो रहे हैं। उक्त विज्ञप्ति के उपरांत उनकी फर्म से किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। इनके स्थान पर द्वितीय पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द्र जैन, निवासी दुर्गा कॉलोनी हेमसिंह की परेड, लशकर, ग्वालियर पार्टनरशिप डीड अनुसार भागीदार होंगे।

द्वारा :- फर्म प्रेम इन्टरप्राइजेज,
अजय पाल सिंह कुशवाह,
(पार्टनर)

वासुदेव विहार, बारह बीघा, सिकन्दर कम्पू,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(538-बी.)

विविध निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त, 2019

ई-निविदा सूचना

क्र. जी. बी./दो(55)2019/1884.—आईटी विभाग की वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> से कम्प्यूटराईज्ड स्टेशनरी की सामग्री (तकनीकी विवरण अनुसार) मुद्रण कार्य हेतु जो इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में गोपनीय कार्य हेतु जीवित पंजीकृत है से पेपर सहित मुद्रण, बंधन, परिवहन एवं अन्य कार्य की समस्त कर सहित दरें दिनांक 12 सितम्बर, 2019 अपरान्ह 5.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

- ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को अपरान्ह 1.00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्डकापी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।
- किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mptenders.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

ज्ञानेश्वर बी. पाटील,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश, भोपाल.

(587)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक छतरपुर म.प्र.

छतरपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2019

प्र. क्रमांक 02/बी-113/2018-19.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 क 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम 5(1) के अंतर्गत लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग छतरपुर) जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि]

क्र.	ट्रस्ट के सदस्यों/संरक्षकों के नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री नंदकिशोर सराफ तनय श्री पी.एल सराफ	वार्ड नं. 09 सरानी गेट के पास छतरपुर.	संरक्षक
2.	श्री अरूण कुमार खरे तनय स्व.श्री कुंजबिहारी खरे	वार्ड नं. 03 लोकनाथ पुरम सागर रोड छतरपुर.	अध्यक्ष
3.	श्री जगत सिंह परिहार तनय स्व.श्री नत्थू सिंह परिहार	वार्ड नं. 29 सत्यार्थ सदन नरसिंहगढ़ पुरवा, छतरपुर.	उपाध्यक्ष
4.	डॉ. आलोक हेमल तनय स्व.श्री एच.जी.हेमल	म.न. 30 बी.सर्या अपार्टमेंट सेक्टर-13 रोहिणी, दिल्ली.	सचिव
5.	श्री मनोज हेमल तनय स्व.श्री एच.जी.हेमल	म.न. 231 गुलमोहर इंकलैब एंड्रूगंज एस.ओ., साउथ दिल्ली.	कोषाध्यक्ष
6.	श्रीमति रेखा हेमल/ मनोज हेमल	म.न. 231 गुलमोहर इंकलैब एंड्रूगंज एस.ओ., साउथ दिल्ली.	सदस्य
7.	श्रीमति अल्पना हेमल/ श्री आलोक हेमल	म.न. 30 बी.सर्या अपार्टमेंट सेक्टर-13 राहिणी, दिल्ली.	सदस्य
8.	श्री रामप्रताप कौशल तनय स्व.श्री विश्वनाथ कौशल	गोपाल गंज उरई जालौन उ.प्र.	सदस्य

1	2	3	4
9.	श्री दिनेशचंद्रा तनय श्री राम निवास	ई.ए. 127 फर्स्ट फ्लोर, इन्द्रपुरी, दिल्ली.	सदस्य
10.	डॉ. कृष्णगोपाल स्वर्णकार तनय श्री किशोरीलाल	मं.नं. 154, गौतमीया मोहल्ला, कुलपहाड जिला महोबा उ.प्र.	सदस्य
11.	श्रीमति साधना चंद्रा पत्नी श्री दिनेशचंद्रा	ई.ए. 127 फर्स्ट फ्लोर इन्द्रपुरी दिल्ली	सदस्य
12.	श्रीमति रजनी सोनी पत्नी डॉ कृष्णगोपाल सोनी	म.नं. 154 गौतमीया मोहल्ला कुलपहाड जिला महोबा उ.प्र.	सदस्य
13.	डॉ. महेन्द्र प्रताप नारायण खरे तनय श्री बलदेव प्रसाद खरे	243 लोकनाथपुरम सागर रोड, छतरपुर	सदस्य
14.	श्री संतोष अग्रवाल तनय श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल	वार्ड नं. 07 शिल्प शाला मार्ग छतरपुर	सदस्य
15.	श्री श्रीराम गुप्ता तनय स्व.श्री राममनोहर गुप्ता	वार्ड नं. 21 शुक्लाना मुहल्ला, छतरपुर	सदस्य
16.	श्री ओमप्रकाश सोनी तनय स्व.श्री रतनलाल सोनी	वार्ड नं. 33 म.नं. 9/1 डॉ. एल.सी. चौरसिया के पास सागर रोड, छतरपुर	सदस्य

1. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा "हरगोविन्द्र हेमल ट्रस्ट" छतरपुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है. एतत् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा. इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि में अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : "हरगोविन्द्र हेमल ट्रस्ट" छतरपुर म.प्र.
2. अचल संपत्ति : "हरगोविन्द्र हेमल ट्रस्ट" छतरपुर म.प्र.

(585)

डी.पी. द्विवेदी,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जूनीइंदौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक निर्मलकुमार पाटोदी पिता स्व. श्री फूलचन्द्रजी पाटोदी पता-45, शांति निकेतन इन्दौर के द्वारा "सदभावना पारमार्थिक न्यास इन्दौर, पता- विद्या विलय 45, शांति निकेतन बाम्बे हॉस्पिटल के पीछे, इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/-का चालान क्रमांक 007011410 दिनांक 31 जुलाई, 2019 प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	सदभावना पारमार्थिक न्यास, इन्दौर
पता	:	विद्या विलय 45, शांति निकेतन बाम्बे हॉस्पिटल के पीछे, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	11,000/-
चल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 31 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(570)

शाश्वत शर्मा,

पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंजीयक, लोक न्यास, जिला खरगौन

रा.प्र.क्र.0003/बी-113(1)/19-20

प्रो.क्र./19-20

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास,

चूंकि प्रार्थी "सकल पंच बावनखेड़ा भीलाला समाज ट्रस्ट खरगोन" तर्फे अध्यक्ष, मुकुन्दसिंह पिता गणपतसिंह सिसोदिया, निवासी पंकज सदन, 08-गोकुलधाम, संचेती आईल मील के सामने बिस्टान रोड खरगोन तहसील व जिला खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1	2	3	4
1.	चल संपत्ति	निरंक	निरंक . .
2.	अचल संपत्ति	निरंक	निरंक . .

(571)

अभिषेक गेहलोत,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, आरोन, जिला गुना

प्र.क्र. 1/बी-113/2019-20

आरोन, दिनांक 06 अगस्त, 2019

प्ररूप चतुर्थ

[देखिये नियम 1]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1953 की तीसवा) की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 3(1) देखिये]

चूंकि श्री गायत्री परिवार ट्रस्ट आरोन के द्वारा श्री बाबूलाल पुत्र श्री गोवर्धन प्रसाद तिवारी, निवासी आरोन के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा के अधीन अनुसूची से लोक न्यास के तहत विनिट्रस्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 01 अगस्त, 2019 को विचार के लिए लाया गया. कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता है और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या विचार या सुझाव देने का विचार रखता है उसे यह सूचित किया जाता है कि यह एक लोक न्यास हो और लोक न्यास के रूप में गठन करना है.

अतः मैं, के.एल. यादव, अनुविभागीय अधिकारी, आरोन, जिला गुना का लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 01 अगस्त, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-05 की उपधारा(1) के द्वारा तथा आपेक्षित जाँच कराना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासकारी या उसके हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक 06 अगस्त, 2019 से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन करना चाहिये और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक 12 सितम्बर, 2019 को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

चल सम्पत्ति	:	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित गुना शाखा आरोन का खाता क्र. 680550324303 वर्तमान व्यावस्थापक गायत्री शक्ति पीठ आरोन श्री बाबूलाल तिवारी निवासी आरोन के नाम जमा राशि 18009/- है.
अचल सम्पत्ति	:	मंदिर प्रांगण में गायत्री माता एवं शिवालय महाकाल भगवान का मंदिर कार्यक्रमों के संचालन हेतु एक हॉल एक टीन सेट एक कार्यालय कक्ष एक पुजारी परिव्राजक कक्ष एक रशोई कक्ष एक स्टॉर कक्ष दो शाँचालय दो स्नान ग्रह निर्मित है. तथा मंदिर परिसर का एक मुख्यद्वार भी निर्मित है.

आज दिनांक 06 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया.

के. एल. यादव,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(572)

अन्य सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त, 2019

कार्यालय नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल.

पु. क्र. जी. बी./दो(58)2019/1887.—पंजीकृत प्रेस के रूप में पंजीकृत होने के कारण पंजीयन नियम, 1984 (संशोधित) के अन्तर्गत नवीन पंजीयन हेतु प्राईवेट प्रेसेस/बाईन्डर से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु शासकीय प्रेस की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in पर नियम की प्रति रखी गयी है, जिसे डाउनलोड कर APPENDIX-1 के निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकेगा.

पंजीयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाली फर्मों से आवेदन के साथ विभागीय मद 0058-00-800-0000 में ऑनलाईन राशि रुपये 250.00 पंजीयन फीस जमा कर विज्ञप्ति प्रकाशन से 30 दिवस की सीमा अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे.

आवेदन के साथ फर्म का गत दो वर्ष का आई.टी.आर. रिटर्न, जी.एस.टी. रिटर्न, फैंक्ट्री एक्ट लाईसेंस, गत छः माह का ई.पी.एफ., ई.एस.आई. रिटर्न एवं गत छः माह का फर्म का विद्युत देयक संलग्न करना अनिवार्य होगा.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील,

नियंत्रक.

(586)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 3 अगस्त, 2019

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत)

क्र./परि./1:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्नानुसार हैं:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नवीन तृतीय श्रेणी कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	. .	523/26-03-2019
2.	अनुषा सदभाव महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	604/21-10-2016	523/26-03-2019
3.	भूतपूर्व सैनिक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	567/30-08-1991	523/26-03-2019
4.	सीमा सुरक्षा बल पुर्नवास साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	887/05-04-1999	523/26-03-2019
5.	महाकाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर	665/28-03-2017	2086/04-10-2018
6.	सकुन महिला कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	515/12-02-2016	2362/10-12-2018
7.	सावरमति क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	614/21-02-2016	2360/10-12-2018
8.	साधना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	647/28-01-2018	2359/10-12-2018
9.	शिव शंकर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर	678/28-03-2017	2002/29-09-2018

अतः मैं भूपेन्द्र पाल सिंह, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, म.प्र. सहकारी समितियां नियम, 1960 के उप-नियम 57(सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्रों के मुझे लिखित रूप में उपायुक्त सहकारिता जिला ग्वालियर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे.

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें ग्वालियर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(573)

भूपेन्द्र पाल सिंह,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 14 जून, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रशासक,

मछुआ सहकारी समिति मर्या., तिलैण्डी

जिला रायसेन

पंजीयन क्रमांक/1074/दिनांक 12-01-2014

क्र./परि/2019/585.- मछुआ सहकारी समिति मर्या., तिलैण्डी, जिला रायसेन. पंजीयन क्र. 1074, दिनांक 12-01-2014 के संबंध में आपके द्वारा इस कार्यालय में पत्र दिनांक 10 मई, 2019 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार:-

1. संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में असफल रही है. संस्था की पंजीकृत उपविधि के अनुसार संस्था के प्रमुख उद्देश्य मत्स्य नीति के अनुसार आखेट कर सदस्यों द्वारा विक्रय कर सदस्यों का हित सर्वधन किया जाना है, लेकिन विगत तीन वर्ष से सदस्य आपस में विवाद कर रहे हैं शिकवा शिकायत के कारण अपने उद्देश्यों की पूर्ति में पूर्ण: असफल रही है.
2. संस्था अपने सभी सदस्यों के हितों का कार्य नहीं कर रही है.
3. आपके संदर्भित प्रतिवेदन अनुसार 27 वंशानुगत एवं परम्परागत मछुआ जाति के व्यक्तियों को समिति सदस्यता हेतु निर्देश दिये गए जिसका पालन नहीं किया गया है. मत्स्य विभाग अनुशांसा अनुसार 22 प्रवर्तक में से 20 अपात्र तथा मत्स्य विभाग द्वारा प्रेषित नवीन सूची 25 + 02= 27 में से केवल 07 को नवीन सदस्यता दी गई अतः मत्स्य नीति एवं मत्स्य विभाग अनुसार समिति में केवल 09 सदस्य पात्र है. स्पष्ट है जो कि निर्धारित पंजीयन हेतु आवश्यक सदस्य संख्या से कम है.
4. न्यायालय कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश एवं प्रकरण क्रमांक 3/बी-121/कले/2017-18 एवं आदेश क्रमांक 1963/रीडर/2018 दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 इस समिति का पंजीयन निरस्त कर नवीन समिति गठन किये जाने के निर्देश दिये है.
5. संस्था को पूर्व में उपायुक्त सहकारिता का पत्र क्रमांक/विधि/2018/1400 रायसेन दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 धारा-53(1) के अंतर्गत संचालक मण्डल सदस्य को अधिक्रमित कर प्रशासक नियुक्त किया गया. लेकिन प्रशासक को पूर्व अध्यक्ष द्वारा संस्था का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. अधिक्रमित संचालक सदस्यों द्वारा धारा-53 के अंतर्गत आरोपित बिंदुओं का निराकरण भी नहीं किया गया है न ही शासकीय आदेशों का समय-समय पर पालन किया गया लगातार शासकीय आदेशों कि अवहेलना की जा रही है.
6. प्रशासक द्वारा वर्तमान समिति को परिसमापन में लाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है.

उपरोक्त कारणों से प्रथमदृष्टया यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि मछुआ सहकारी समिति मर्या. तिलैण्डी पंजीयन क्रमांक 1074, दिनांक 12 जनवरी, 2014 का अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु संस्था को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत क्यों न परिसमापन में लाने की कार्यवाही की जाए.

अतः मैं, के.व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला रायसेन मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्र.एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी,

दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं पश्चात्पूर्वी अधिसूचनाओं के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था को अवसर प्रदान करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से परिसमापन में लाया जाए? इस संबंध में इस सूचना-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर संस्था की ओर से विधि अनुरूप मय दस्तावेजी साक्ष्य के लिखित में उत्तर प्रस्तुत करें यदि उक्त समयावधि में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो यह मानकर कि इस सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है, अथवा प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं हुआ तो प्रकरण में विधि अनुकूल निर्णय लिया जावेगा। यदि संस्था की ओर से सुनवाई हेतु अवसर चाहते हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख दिनांक 02 जुलाई, 2019 को कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर संस्था की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 जून, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(574)

के.व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडरिया,
जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/1135.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडरिया जिला होशंगाबाद के प्रशासक श्री जी.डी. पाल, उप अंकेक्षक का पत्र क्रमांक 3554, दिनांक 12 जून, 2019 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाडरिया जिला होशंगाबाद का पंजीकृत पते पर नहीं होने तथा अकार्यशील रहने के कारण निर्वाचन कार्य कराने में असमर्थ है। अकार्यशील होकर बंद होने से प्रशासक द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा अपने आवेदन में संस्था का निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है।
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है।
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है। संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(576)

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

श्रीहरि श्रम एवं ठेका सहकारी समिति मर्या., इटारसी,

जिला होशंगाबाद.

क्र./परि./2018/1134.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि रेवांचल श्रीहरि श्रम एवं ठेका सहकारी समिति मर्या., इटारसी, जिला होशंगाबाद में आदेश क्रमांक 4386, दिनांक 17 मई, 2018 के द्वारा श्रीमती विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पत्र क्रमांक 3763, दिनांक 03 अगस्त, 2018 के द्वारा श्री हरि श्रम एवं ठेका सहकारी समिति मर्या., इटारसी जिला होशंगाबाद का पंजीकृत पते पर नहीं होने तथा अकार्यशील रहने के कारण निर्वाचन कार्य कराने में असमर्थ है. अकार्यशील होकर बंद होने से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समिति को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है. इससे यह स्पष्ट होता है कि:-

1. संस्था अकार्यशील है तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा अपने आवेदन में संस्था का निर्वाचन कार्य करवाना संभव नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
5. संस्था के अध्यक्ष द्वारा अपने पत्र में संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ.-05-01-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577)

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1121.—रेवांचल जैविक खाद उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जासलपुर, तहसील होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3247, दिनांक 27 अगस्त, 2015 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/4987, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के द्वारा धारा 69(3) का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा 7 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद रेवांचल जैविक खाद उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जासलपुर, तहसील होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद पंजीयन

क्रमांक 3247, दिनांक 27 अगस्त, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री प्रकाश बत्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(575)

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1136.—भीलटदेव श्रमिक रेत खनन सहकारी समिति मर्या., सुखतवा, पंजीयन क्रमांक 3237, दिनांक 17 अगस्त, 2015 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2019/411, दिनांक 05 मार्च, 2019 के द्वारा धारा 69(3) का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा 4 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद भीलटदेव श्रमिक रेत खनन सहकारी समिति मर्या., सुखतवा पंजीयन क्रमांक 3237, दिनांक 17 अगस्त, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री प्रकाश बत्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(578)

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1137.—महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जमाड़ा, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2756, दिनांक 28 फरवरी, 2002 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/4982, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के द्वारा धारा 69(3) का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा 7 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद महालक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जमाड़ा, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2756, दिनांक 28 फरवरी, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री प्रकाश बत्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(579)

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1138.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नान्दा परसवाड़ा, तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3211, दिनांक 11 जून, 2015 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/4984, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के द्वारा धारा 69(3) का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा 7 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नांदना परसवाड़ा, तहसील बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3211, दिनांक 11 जून, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री प्रकाश बत्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(580)

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1139.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौतलाय, तहसील सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3073, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/4981, दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के द्वारा धारा 69(3) का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा 7 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौतलाय, तहसील सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3073, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री प्रकाश बत्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(581)

होशंगाबाद, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/1140.—श्री कृष्ण प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., शिवपुर, पंजीयन क्रमांक 2902, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/412, दिनांक 05 मार्च, 2019 के द्वारा धारा 69(3) का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा 4 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त कारण से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है इसलिए समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 5-1-99-पंद्रह-1-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, होशंगाबाद श्री कृष्ण प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., शिवपुर पंजीयन क्रमांक 2902, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की अस्तियों तथा देयताओं के निराकरण हेतु सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री प्रकाश बत्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 23 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(582)

बी.एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 25 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/304, दिनांक 14 मार्च, 2017 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों एवं आदेशों की उपेक्षा करना, संस्था प्रशासक तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का प्रतिवेदन आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयवाधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार हैं. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दया साख सहकारी समिति मर्या., कांकरियांव, पंजीयन क्रमांक 234, दिनांक 15 नवम्बर, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री हुकुम यादव, सह. वि. अधिकारी, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(568)

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2019-भाद्र 15, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2019

1. मौसम एवं वर्षा.—प्रायः राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है शेष जिलों में मौसम शुष्क रहा है.
2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- ..
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- ..
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- ..
7. अन्य असामयक घटना से छति :- दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को अचानक आग लगने से तहसील होशंगाबाद के 13 ईटारसी के 05, वावई के 02, वनखेड़ी के 04, ग्रामों में गेहूं की फसल नष्ट होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. फसल स्थिति :- राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, बुरहानपुर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ-कम. (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा 4.0				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ सुधरी हुई है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, गेहूँ, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..			4. (1) गेहूँ समान.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..			(2) गेहूँ फसल सुधरी हुई है.		चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..						
4. नरवर	..						
5. करैरा	1.0						
6. कोलारस	..						
7. पोहरी	..						
8. बैराढ़	..						
9. बदरवास	..						
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..			4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना कम.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..						
4. चन्देरी	..						
5. नई सराय	..						
6. पिपरई	..						
7. शाढौरा	..						
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..			4. (1) गेहूँ समान.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..			(2) गेहूँ फसल सुधरी हुई हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..						
4. आरोन	..						
5. चाचौड़ा	..						
6. मकसूदनगढ़	..						
7. कुम्भराज	..						
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..			4. (1) गेहूँ अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..			(2) गेहूँ समान.		चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..						
4. टीकमगढ़	..						
5. बल्देवगढ़	..						
6. पलेरा	..						
7. खरगापुर	..						
8. मोहनगढ़	..						
9. लिधौरा	..						
10. ओरछा	..						
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..			4. (1) गेहूँ, जौ अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..			(2) ..		चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..						
4. छतरपुर	..						
5. राजनगर	..						
6. बिजावर	..						
7. बड़ा मलहरा	..						
8. लवकुशनगर	..						
9. बक्सवाहा	..						
10. महाराजपुर	..						
11. चंदला	..						
12. धुवारा	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..			4. (1) तुअर, जौ कम. गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. पन्ना	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.		
3. गुन्नौर	..						
4. पवई	..						
5. शाहनगर	..						
6. देवेन्द्रनगर	..						
7. अमानगंज	..						
8. सिमरिया	..						
9. रैपुरा	..						
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..			4. (1) गेहूँ, जौ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. खुरई	..			(2) गेहूँ, जौ, गन्ना सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.		
3. बण्डा	..						
4. सागर	..						
5. रेहली	..						
6. देवरी	..						
7. गढ़ाकोटा	..						
8. राहतगढ़	..						
9. केसली	..						
10. मालथोन	..						
11. शाहगढ़	..						
13. *जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. हटा	..			4. (1)	..	6. ..	8. ..
2. बटियागढ़	..			(2)	..		
3. दमोह	..						
4. पथरिया	..						
5. जवेरा	..						
6. तेन्दूखेड़ा	..						
7. पटेरा	..						
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..			4. (1) तुअर समान. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.	
2. मझगवां	..			(2) तुअर गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.		
3. रामपुर-बघेलान	..						
4. नागौद	..						
5. उचेहरा	..						
6. अमरपाटन	..						
7. रामनगर	..						
8. मैहर	..						
9. कोठर	..						
10. बिरसिंहपुर	..						
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	1.0			4. (1) गेहूँ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. सिरमौर	..			(2) गेहूँ, तुअर समान हैं.	चारा पर्याप्त.		
3. मऊगंज	..						
4. हनुमना	4.3						
5. हजूर	2.0						
6. गुढ़	1.0						
7. मनगवां	..						
8. सेमरिया	..						
9. जवा	..						
10. नईगढ़ी	..						
11. रायपुरकूर्चिलियान	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..			4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..			(2) तुअर बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जयसिंहनगर	..			गेहूँ सुधरी हुई हैं.		
4. बुढ़ार	..					
5. गोहपारू	..					
6. जैतपुर	..					
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..			4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..			(2) तुअर बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	..			गेहूँ सुधरी हुई हैं.		
4. पुष्पराजगढ़	..					
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..			4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..			(2) गेहूँ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. चंदिया	..					
4. नौरोजाबाद	..					
5. मानपुर	..					
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..			4. (1) गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..					
4. कुसमी	..					
5. चुरहट	..					
6. बहरी	..					
7. रामपुरनैकिन	..					
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..			4. (1) गेहूँ, समान. जौ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	..					
4. माडा	..					
5. सिंगरौली	..					
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..			4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..			(2) गेहूँ, सुधरी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..					
4. गरोठ	..					
5. मंदसौर+दालोद	..					
6. श्यामगढ़	..					
7. सीतामऊ	..					
8. धुंधड़क्का	..					
9. संजीत	..					
10. कयामपुर	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..			4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..			(2) गेहूँ सुधरी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..					
4. जीरन	..					
5. रामपुर	..					
6. मनासा	..					
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..			4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..			(2) गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..					
4. बाजना	..					
5. ताल	..					
6. रावटी	..					
7. पिपलोदा	..					
8. रतलाम	..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..			4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..			(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..					
4. घटिया	..					
5. उज्जैन	..					
6. बड़नगर	..					
7. नागदा	..					
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..			4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..			(2) दोनों फसलें समान.	चारा पर्याप्त	
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..					
4. कालापीपल	..					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	..					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) गेहूँ, मूँग(रबी) कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			उड़द, (रबी) अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. हाटपिपल्या	..					
7. सतवास	..					
8. उदयनगर	..					
9. खातेगांव	..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. *जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. अलीराजपुर	..		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
7. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. हातोद	..				
5. महु	..				
(डॉ अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..			4. (1) गेहूँ कम.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..			(2) गेहूँ समान.		चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..						
4. पंधाना	..						
5. हरसूद	..						
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..			4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..			(2) गन्ना, गेहूँ, सुधरी हुई है.		चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..						
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..			(2)	..	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..						
4. ब्यावरा	..						
5. सारंगपुर	..						
6. पचोर	..						
7. नरसिंहगढ़	..						
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..			4. (1) गेहूँ सुधरी हुई.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..			(2) गेहूँ सुधरी हुई है.		चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	..						
7. गुलाबगंज	..						
8. शमसाबाद	..						
9. त्यांदा	..						
10. पठारी	..						
11. ग्यारसपुर	..						
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..			4. (1) गेहूँ		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	2.1			(2) गेहूँ समान.		चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	..						
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..			4. (1) गन्ना, गेहूँ कम. चना अधिक.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..						
4. नसरुल्लागंज	..						
5. रेहटी	..						
6. श्यामपुर	..						
7. जावर	..						
8. बुधनी	..						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		गेहूँ, चना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. दि. 05-04-19 को अचानक	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .	आग लगने से तहसील	4. (1) गेहूँ गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .	होशंगाबाद के 13 ग्राम,	(2) गेहूँ, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .	इटरसी के 5 ग्राम, बावई के			
4. इटरसी	. .	2 ग्राम, वनखेड़ी के 4 ग्रामों			
5. सोहागपुर	. .	की गेहूँ फसल नष्ट हो गई			
6. पिपरिया	. .	विस्तृत सर्वे जारी है.			
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	3.4				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) गेहूँ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..			4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	..			गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	..			(2) ..		
4. गाडरवारा	..					
5. तेंदूखेड़ा	..					
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	..			4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	..			(2) गेहूँ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	..					
4. निवास	..					
5. नारायणगंज	..					
6. घुघरी	..					
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..			4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..			(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	..					
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..			4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	..			(2) गेहूँ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..					
4. जुन्नारदेव	..					
5. सांसर	..					
6. बिछुआ	..					
7. अमरवाड़ा	..					
8. चौरई	..					
9. उमरठ	..					
10. मोहखेड	..					
11. हरई	..					
12. चांद	..					
13. पांडुर्णा	..					
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	..					
4. कवलारी	..					
5. लखनादोन	..					
6. छपारा	..					
7. धनोरा	..					
8. घंसोर	..					
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..			4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..			(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	..					
4. बैहर	..					
5. वारासिवनी	..					
6. कटंगी	..					
7. लालबर्ग	..					
8. तिरोडी	..					
9. परसवाड़ा	..					
10. बिरसा	..					
11. खैरलाँजी	..					

टीप.-*जिला दमोह, अलीराजपुर से जानकारी अप्राप्त है.

ओ. पी. बाथम,

प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(583)